



उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 09 अग्रहायण, शक संवत्, 1944

(दिनांक : 30 नवम्बर, 2022)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी “क”)
2. निधन के निदेश।
3. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2022 के द्वितीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।
4. आवास मंत्री, भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अध्याय-10 के अन्तर्गत धारा-86(2) के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण (रिया) द्वारा अधिसूचित “उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियमन, 2021” को सदन के पटल पर रखेंगे।
5. वन मंत्री, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अध्याय-5 के धारा 26 (1) के प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 तक के आर्थिक चिट्ठों का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।
6. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जल, सम्भरण, सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा-50(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जल संस्थान के वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 तक के वार्षिक लेखे/प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे।
7. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
8. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
9. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

10. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-“ख”)

11. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
12. मत्स्य पालन मंत्री, उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
13. मत्स्य पालन मंत्री, उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करेंगे।
14. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
15. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करेंगे।
16. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
17. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करेंगे।
18. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
19. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करेंगे।
20. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
21. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करेंगे।
22. सहकारिता मंत्री, उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
23. सहकारिता मंत्री, उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करेंगे।
24. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

25. वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान:-

- (1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-03 मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत रु0 105000 हजार (दस करोड़ पचास लाख मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (2) विधि एवं न्याय मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 882733 हजार (अठ्ठासी करोड़ सत्ताईस लाख तैंतीस हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (3) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-05, निर्वाचन के अन्तर्गत 15832 हजार (एक करोड़ अठ्ठावन लाख बत्तीस हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (4) राजस्व मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु0 1275234 हजार (एक सौ सत्ताईस करोड़ बावन लाख चौतीस हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (5) वित्त मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रु0 3364214 हजार (तीन सौ छत्तीस करोड़ बयालीस लाख चौदह हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (6) गृह मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रु0 244060 हजार (चौबीस करोड़ चालीस लाख साठ हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (7) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रु0 1257470 हजार (एक सौ पच्चीस करोड़ चौहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (8) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रु0 4328444 हजार (चार सौ बत्तीस करोड़ चौरासी लाख चवालीस हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (9) पेयजल मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रु0 3861566 हजार (तीन सौ छियासी करोड़ पन्द्रह लाख छियासठ हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।

- (10) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत रु0 517000 हजार (ईक्यावन करोड़ सत्तर लाख मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (11) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रु0 3165482 हजार (तीन सौ सोलह करोड़ चौवन लाख बयासी हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (12) श्रम मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रु0 246473 हजार (चौबीस करोड़ चौसठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (13) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रु0 569425 हजार (छप्पन करोड़ चौरानवे लाख पच्चीस हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (14) सहकारिता मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत रु0 57500 हजार (पांच करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (15) ग्राम्य विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0 6003463 हजार (छः सौ करोड़ चौतीस लाख तिरसठ हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (16) लोक निर्माण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0 2763672 हजार (दो सौ छिहत्तर करोड़ छत्तीस लाख बहत्तर हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (17) उद्योग मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत रु0 1021000 हजार (एक सौ दो करोड़ दस लाख मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
- (18) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत रु0 257040 हजार (पच्चीस करोड़ सत्तर लाख चालीस हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।

- (19) खाद्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत रु0 529720 हजार (बावन करोड़ सतावने लाख बीस हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
 - (20) पर्यटन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत रु0 2000 हजार (बीस लाख मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
 - (21) वन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत रु0 1 हजार (एक हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
 - (22) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रु0 277621 हजार (सत्ताईस करोड़ छिहत्तर लाख इक्कीस हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
 - (23) उद्यान मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत रु0 373607 हजार (सैंतीस करोड़ छत्तीस लाख सात हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
 - (24) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रु0 722524 हजार (बहत्तर करोड़ पच्चीस लाख चौबीस हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
 - (25) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रु0 423465 हजार (बयालीस करोड़ चौतीस लाख पैसठ हजार मात्र) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाय।
26. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
 27. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करेंगे।
 28. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।
 29. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022 पारित किया जाय।

30. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तराखण्ड संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। (05 मिनट)
31. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तराखण्ड संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।
32. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। (05 मिनट)
33. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।
34. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। (05 मिनट)
35. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।
36. संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। (05 मिनट)
37. संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।
38. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। (05 मिनट)
39. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।
40. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। (05 मिनट)
41. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।
42. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। (05 मिनट)
43. शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।
44. पंचायतीराज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। (05 मिनट)
45. पंचायतीराज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।

46. पंचायतीराज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। (05 मिनट)
47. पंचायतीराज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।
48. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरिद्वार विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। (20 मिनट)
49. उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरिद्वार विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।
50. आवास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। (05 मिनट)
51. आवास मंत्री प्रस्ताव करेंगे उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।
52. पर्यटन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। (05 मिनट)
53. पर्यटन मंत्री प्रस्ताव करेंगे उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।
54. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। (20 मिनट)
55. संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।
56. पंचायतीराज मंत्री द्वारा निम्न प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :-

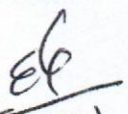
मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 जो कि दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को पुरःस्थापित हुआ तथा दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित किया गया, को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

57. मुख्यमंत्री द्वारा निम्न प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :-

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कारखाना (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 जो कि दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को पुरःस्थापित हुआ तथा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित किया गया, को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

58. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
59. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं एवं नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उमेश शर्मा काऊ, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर आयुष मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।
60. सुसवा नदी देहरादून को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजभूषण गैरोला, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2022 को दी गई सूचना पर माननीय पेयजल मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

देहरादून :
दिनांक : 29 नवम्बर, 2022

आज्ञा से,

(हिम चन्द्र पन्त)
प्रभारी सचिव ।



तृतीय सत्र, 2022
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची
बुधवार, 09 अग्रहायण, शक संवत्, 1944
(दिनांक : 30 नवम्बर, 2022)

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

श्री विरेन्द्र कुमार
02.08.2022

*01. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में गरीब वर्गों को शादी हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि समय से नहीं मिल रही है, जिस कारण गरीब परिवार के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि धनराशि समय से न मिलने के कारण लोग अपने बच्चों की शादी समय से नहीं करा पा रहे हैं ? क्या सरकार उपरोक्त सम्बन्धी विगत तीन वर्षों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार द्वारा उक्त धनराशि को यथा समय दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण

श्री बृज भूषण गैरोला
05.08.2022

*02. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगो को स्वरोजगार देने के लिए कोई योजना चलाई जा रही है ? क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए निगम से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को शासन द्वारा मार्गदर्शी अभिकरण नामित किया गया है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों ने पिछले पांच वर्ष में इस योजना का लाभ लिया है ? क्या मंत्री जी इसका विवरण सदन के पटल पर रखेगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण

श्री फुरकान अहमद
05.08.2022

*03. क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए राज्य में स्थित कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट की चाहरदीवारी हेतु बजट का प्राविधान पूर्व में किया जाता था ? क्या यह सत्य है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्यय में उक्त हेतु कोई प्राविधान नहीं किया गया है ? क्या सरकार अल्पसंख्यकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए बजट का प्राविधान करेगी ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं तो क्यों ?

अल्पसंख्यक
कल्याण

श्री प्रीतम सिंह पंवार
10.08.2022

*04. क्या परिवहन मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों के किराये में की गई अत्यधिक वृद्धि से यात्रियों पर भारी बोझ पड़ेगा साथ ही अन्य परिवहन ऑपरेटर्स द्वारा भी किराये में वृद्धि की जायेगी जिसका बोझ भी जनता पर पड़ेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार किराया भाड़े में की गयी भारी वृद्धि को वापस लेगी अथवा पुनर्विचार कर संशोधन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन

श्री प्रीतम सिंह पंवार
10.08.2022

*05. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर राशन कार्ड धारकों को सस्ते दामों पर मिट्टी का तेल राशन के कोटे के साथ ही मिलता था ? क्या यह सत्य है कि अब सरकार सस्ते गल्लों की दुकानों पर मिट्टी का तेल लम्बे समय से उपलब्ध नहीं करा रही है ? क्या सरकार पूर्व की भांति सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर निश्चित मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य नागरिक
आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले

श्रीमती ममता राकेश
18.08.2022

*06. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी योजना का संचालन सुचारु रूप से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त योजना में बच्चों को दिये जाने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता निम्न स्तर की है ? यदि हां, तो क्या सरकार दिये जा रहे पौष्टिक आहार की गुणवत्ता की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री भुवन चन्द्र कापड़ी
23.08.2022

*07. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी योजना का संचालन सुचारु रूप से किया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि उक्त योजना के अन्तर्गत 04 माह से टेक होम राशन की आपूर्ति नहीं हुई है एवं 16 माह से भवन किराया भुगतान नहीं हुआ है, जिस कारण उक्त योजना सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो सरकार जनहित में उक्त योजना का संचालन सुचारु रूप से करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार
24.08.2022

*08. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वृद्धों, विधवाओं तथा दिव्यांगों को दी जाने वाली पेन्शन प्राप्ति हेतु बैंकों/मिनी बैंकों में जाना पड़ता है ? क्या यह सत्य है कि बैंक/मिनी बैंक गांव से दूर होने के कारण पेन्शनधारकों को आने-जाने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार पेन्शन धारकों की उक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व की भांति पेन्शन का भुगतान स्थानीय डाकघरों/उप डाकघरों/शाखा डाकघरों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण

श्री सुमित हृदयेश
25.08.2022

*09. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नन्दा देवी कन्याधन योजना "हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना" के तहत 2016-17 एवं वर्ष 2018 में जन्मी कन्याओं को लाभान्वित करने की प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है ? क्या यह सत्य है कि नैनीताल जनपद को उक्त योजना से आच्छादित नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उत्तराखण्ड राज्य में उक्त योजना से लाभान्वित की जा रही कन्याओं का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री प्रमोद नैनवाल
25.08.2022

*10. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के ताड़ीखेत में परिवहन विभाग द्वारा कई वर्ष पूर्व डिपो बनाने के लिए जमीन क्रय की गयी थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि रानीखेत शहर में अत्यधिक भीड़ एवं जाम से निजात पाने के लिए सरकार उक्त क्रय की गयी भूमि में स्थायी डिपो बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन

श्री महेश जीना
26.08.2022

*11. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं? क्या मंत्री जी यह भी अवगत करायेंगे कि वर्ष 2022-23 में कुल कितनी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है और और कुल कितनी सहायता प्रदान की गयी है? यदि हां, तो सदसम्बन्धित का सम्पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री महेश जीना
19.09.2022

*12. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आतिथि में कुल कितने मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और कितने प्रस्तावित है ? क्या मंत्री जी अवगत है कि मिनी स्टेडियम के अभाव में युवा अपनी प्रतिभा को दिखाने से वंचित रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्तर पर मिनी स्टेडियम/खेल मैदान का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

युवा कल्याण

श्री दलीप सिंह रावत
27.09.2022

*13. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडाउन के अन्तर्गत भौन-पिपली मार्ग में बस दुर्घटना में मृतक लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया गया है ? यदि हां तो उसका विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि घोषणा के अनुसार उन्हें पूरा मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन

श्री प्रदीप बत्रा
12.10.2022

*14. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड प्रदेश के विभिन्न खेलों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है ? क्या सरकार द्वारा ऐसे खिलाड़ियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल

श्री प्रदीप बत्रा
12.10.2022

*15. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम लि० में 10 वर्ष या उससे अधिक वर्षों से संविदा के माध्यम से कार्यरत चालक व परिचालकों के विनियमितीकरण करने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन

श्रीमती अनुपमा रावत
03.11.2022

*16. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जिले में कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिये विशेष सहायता शिविर आयोजित किये जाते हैं ? यदि हां, तो पिछले वर्ष हरिद्वार जनपद में ऐसे कितने शिविर आयोजित किये गये और किन-किन स्थानों पर किये गये ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ऐसे सहायता शिविरों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितनों का निराकरण किया गया है ? क्या सरकार द्वारा ऐसे सहायता शिविर हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में भी आयोजित करने का प्रस्ताव है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण

श्री त्रिलोक सिंह चीमा
10.11.2022

*17. मेरे द्वारा विधान सभा के द्वितीय सत्र 2022 में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-11 के क्रम में परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में कई स्थानों पर रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृतियाँ दी गई हैं तो क्या रामनगर से हरिद्वार होते हुए देहरादून तक रेल सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृति लेने के लिए क्या प्रगति की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन

श्रीमती अनुपमा रावत
11.11.2022

*18. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन में आवेदन किया था ? यदि हां, तो यह आवेदन कब किया गया था और राष्ट्रीय खेल, उत्तराखण्ड में आयोजित करने की दिशा में क्या प्रगति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल

श्रीमती अनुपमा रावत
11.11.2022

*19. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विभाग द्वारा वर्ष 2016 में कितनी महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण की योजनाएं संचालित की जा रही है ? क्या ये सभी योजनाएं आज भी संचालित की जा रही है ? यदि नहीं, तो इनमें से बंद की गई योजनाओं के नाम तथा उनके लाभार्थियों की संख्या कितनी थी और उन योजनाओं को बंद करने का क्या कारण है ?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

अतारांकित प्रश्न

श्री आदेश सिंह चौहान
02.08.2022
श्री विरेन्द्र कुमार
02.11.2022

01. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में धान की फसल की खरीद का कितना लक्ष्य रखा गया है ? क्या सरकार ने गत वर्ष की तुलना में अधिक धान खरीदने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि राज्य में धान खरीद के लिए कितने केन्द्र स्थापित करने की कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य नागरिक
आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले

श्री आदेश सिंह चौहान
02.08.2022

02. क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कब्रिस्तान/श्मशानघाट की चाहरदीवारी हेतु कितना बजट का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक
कल्याण

श्री शहजाद
02.08.2022

03. क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में सचिव पद पर प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण तैनाती के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है ? क्या उक्त हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर चयन प्रक्रिया अपनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक
कल्याण

श्री शहजाद
02.08.2022

04. क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभागान्तर्गत विगत 5 वर्षों से अधिक अवधि में प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर कितने अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं ? क्या वे कार्मिक 05 वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पूर्ण कर चुके हैं ? यदि हां, तो क्या समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को उनके मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक
कल्याण

श्री सुरेश सिंह चौहान
02.08.2022

05. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के पुत्रियों के विवाह हेतु कुल कितनी धनराशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री (उत्तरकाशी) में वर्ष 2020-2021 व वर्ष 2021-2022 में कुल कितने आवेदकों को उक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गयी है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी धनराशि ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण

श्री आदेश सिंह चौहान
03.08.2022

06. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में धान के समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य नागरिक
आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले

श्री विरेन्द्र कुमार
03.08.2022

07. क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति ओ0बी0सी0 जाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति समय से न मिलने के कारण छात्र-छात्राओं की शिक्षा बाधित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति, ओ0बी0सी0 जाति के छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति देने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण

श्रीमती अनुपमा रावत
03.08.2022

“प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या -23 में स्थानान्तरित।”

08. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वर्तमान में कितनी आय तक के व्यक्तियों को बी.पी.एल. श्रेणी में रखा गया है तथा बी.पी.एल. आय निर्धारण का आधार क्या है ? क्या सरकार बी0पी0एल0 श्रेणी की आय सीमा को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य नागरिक
आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले

श्री सुरेश सिंह चौहान
03.08.2022

“प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या -95 में स्थानान्तरित।”

09. क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की भांति उत्तराखण्ड राज्य में भी सरकार पिछड़ी जाति में आरक्षण जनसंख्या के मानक के अनुसार 14 प्रतिशत के स्थान पर 27 प्रतिशत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण

श्री शहजाद
03.08.2022

10. क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कब्रिस्तान/श्मशानघाट की चाहरदीवारी हेतु कितना बजट का प्राविधान किया गया है तथा इस हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक
कल्याण

श्री मयूर महार
04.08.2022

“द्वितीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या -13 में स्थानान्तरित।”

11. क्या युवा कल्याण मंत्री अवगत हैं कि देश के अनेक राज्यों में एस0एस0बी0 द्वारा गुरिल्ला ट्रेनिंग प्रशिक्षित युवाओं को राज्य के अनेक विभाग जैसे पुलिस, होमगार्ड, एस0डी0आर0एफ, पी0आर0डी0 में स्थायी नियुक्तियां प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो कितने प्रशिक्षित युवाओं को अब तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नियुक्ति दी जा चुकी है ? क्या सरकार सेवा उम्र पूर्ण कर चुके प्रशिक्षित गुरिल्ला व्यक्ति को पेंशन देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कितनी और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण

श्री बृज भूषण गैरोला
05.08.2022

12. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार योजना के तहत रु. 20,000/ से रु. 7,00,000/ तक का ऋण राष्ट्रीयकृत बैंको के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है ? क्या यह भी सत्य है कि इस योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 10,000/ का अनुदान एवं योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर निगम द्वारा लाभार्थी को बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के डोईवाला विधान सभा क्षेत्र के कितने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों ने इस योजना से लाभ लिया है तथा इस स्वरोजगार योजना की जानकारी के बारे में समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण

श्री भुवन चन्द्र कापड़ी
05.08.2022

13. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में युवा कल्याण विभाग के माध्यम से सेवायोजित पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों का पी.एफ. अंशदान जमा नहीं किया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि इन्हें आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों को उपनल कार्मिकों की भांति पी0एफ0 की सुविधा तथा आकस्मिक/अर्जित अवकाश की सुविधा अनुमन्य करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण

श्री प्रीतम सिंह पंवार
10.08.2022

14. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्मित है ? क्या सरकार बतायेगी कि कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनहीन हैं, जो कि अन्यत्र चलाये जा रहे हैं ? क्या सरकार भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार
10.08.2022

15. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि महिला मंगल दलों तथा युवक मंगल दलों को और अधिक क्रियाशील अथवा सशक्त करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम निर्माण में लगे इन दलों को क्रियाशील, सशक्त और स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण

श्री प्रीतम सिंह पंवार
10.08.2022

16. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों व तोकों में उनके जीवन यापन में सुधार लाने तथा विकास योजनाओं के संचालन हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.पी.) की योजनायें संचालित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि एस.सी.पी. में आच्छादन हेतु 40 प्रतिशत की आबादी अनु.जाति/जनजाति की होनी आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मानक में कुछ कटौती किए जाने पर विचार कर तोकों/मजरा में निवासरत लोगों को योजना से आच्छादित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण

श्री उमेश कुमार
16.08.2022

17. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड (सी0ए0यू0) एक स्वायत्तशासी निकाय है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत है ? क्या यह सत्य है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड (सी0ए0यू0) उत्तराखण्ड सरकार के नियमों के तहत ही इस निकाय पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल

इंजी0 रवि बहादुर
22.08.2022

18. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के सोहलपुर, हददीपुर, मानुबांस, दादूबांस, लामग्रन्ट, मुजाहिदपुर, सतीवाला, बन्दरजूड़, कुडकावाला, बुग्गावाला, टकाभरी, फतेहपुर, नौकराग्रंट, गोमतीपुरा, बुद्धवाशहीद, तेलपुरा आदि से पिरानकलियर, भगवानपुर को चलने वाली परिवहन की बसों को कब तक प्रारम्भ किया जाएगा ? क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 2009-2010 में तत्कालीन परिवहन मंत्री द्वारा परिवहन डिपो रुड़की से 7 बसों को चलाया गया था ? यदि हां, तो उक्त बसों का संचालन बन्द होने के क्या कारण है तथा कब तक उक्त बसों का पुनः संचालन किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन

इंजी० रवि बहादुर
22.08.2022

19. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा खोले गए प्रियदर्शनी कामकाजी महिला छात्रावास को पी.पी.पी. मोड़ पर दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि पी.पी.पी. मोड़ पर दिये जाने के बाद से उसका किराया आठ गुना बढ़ाया गया तथा नवीनीकरण के नाम पर 19 कामकाजी युवतियों को बाहर निकाला जा रहा है ? क्या सरकार उक्त छात्रावास से बाहर निकाली जा रही कामकाजी युवतियों हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री भुवन चन्द्र कापड़ी
22.08.2022
श्री प्रीतम सिंह पंवार
24.08.2022

20. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में कार्यरत आगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायक कार्यकर्त्रियों के मानदेय को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्रीमती ममता राकेश
22.08.2022

“द्वितीय गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-03 में स्थानांतरित।”

21. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रदेश में बाल वाटिका राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें शिक्षा हेतु विद्यालयों में अलग से कक्ष आवंटित किये गये हैं ? क्या यह सत्य है कि जिन विद्यालयों में बाल वाटिका संचालित किये जा रहे हैं उन विद्यालयों में विद्युत एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार बाल वाटिका केन्द्रों को सुविधायुक्त बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री सुमित हृदयेश
22.08.2022

22. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी के अन्तर्गत नन्दा देवी कन्या धन योजना “हमारी कन्या हमारा अभिमान” योजना के तहत वर्ष 2016-17 एवं 2018 में जन्मी कन्याओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पंजीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त अवधि में जन्मी कन्याओं को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री गोपाल सिंह राणा
23.08.2022

23. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के बी०पी०एल श्रेणी के कार्डधारकों के जो राशन कार्ड जमा किये गये थे उनके स्थान पर सरकार द्वारा नये राशन कार्ड बनाने की कोई योजना है ? क्या सरकार द्वारा वर्तमान समय में बी०पी०एल श्रेणी के राशन कार्डधारकों के लिए कोई नये मानक तय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य नागरिक
आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले

श्री प्रीतम सिंह पंवार
24.08.2022

24. क्या लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगार नौजवान जो कि अपना स्वयं का स्वरोजगार करना चाहते हैं, उन्हें किन-किन उद्यमों के लिए कितनी धनराशि का ऋण तथा ऋण के सापेक्ष अनुदान दिया जाता है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में अब तक कुल कितने ऐसे बेरोजगार युवाओं को लघु एवं सूक्ष्म, मध्यम उद्यम हेतु ऋण तथा अनुदान दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु एवं सूक्ष्म
मध्यम उद्यम

श्री प्रीतम सिंह पंवार
24.08.2022

25. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत विकासखण्ड थौलधार के गांवों के हजारों लोग स्वयं के व्यवसाय, निजी संस्थानों में दिल्ली में कार्यरत होने के कारण इनके द्वारा दिल्ली-हरिद्वार-ऋषिकेश-चम्बा-कण्डीसौड़-मैण्डखाल तक उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस संचालित कराये जाने की मांग की गयी है ? क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त मार्ग पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन

श्री प्रीतम सिंह पंवार
24.08.2022

26. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खेलों के प्रति रूचि जागृत करने, बढ़ावा देने तथा संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सरकार की कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं ? क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले नौजवानों में खेलों के प्रति उन्मुख होने की दिशा में कार्य किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल

श्री प्रमोद नैनवाल
25.08.2022

27. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत भिवियासैण से दिल्ली व देहरादून तक परिवहन निगम के बस का संचालन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन

श्री सुमित हृदयेश
25.08.2022

“द्वितीय शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-03 में स्थानांतरित।”

28. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में पूर्व में महिला समूहों द्वारा इन्दिरा अम्मा कैटीन संचालित की जा रही थी ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पूर्व में ये कैटीन कितने स्थानों पर संचालित की जा रही थी और वर्तमान में कितने स्थानों में संचालित की जा रही है ? क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा अधिकांश इन्दिरा अम्मा कैटीन का संचालन बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाये जाने की इस महत्वपूर्ण योजना को बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री दलीप सिंह रावत 25.08.2022	29. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने के मानक क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण
श्री दलीप सिंह रावत 25.08.2022	30. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विद्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को पुरस्कार के अलावा आने-जाने के लिए यात्रा भत्ता भी दिया जाता है ? यदि हां, तो खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को दिये जाने वाले मार्ग भत्ते का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	युवा कल्याण
श्री दलीप सिंह रावत 25.08.2022	31. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास
श्री दलीप सिंह रावत 25.08.2022	32. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में नई खेल नीति बनाई बनाये जाने पर विचार कर रही हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	खेल
श्री प्रीतम सिंह पंवार 26.08.2022	33. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को उचित मानदेय, नेट व्यय स्वीकृत न होने तक पर्वतीय क्षेत्रों को बायोमैट्रिक प्रणाली से मुक्त रखने, खाद्यान लाभांश बढ़ाने, अन्न भण्डार से दुकान तक भाड़ा बढ़ाने जाने आदि मांगों पर सरकार द्वारा क्या-क्या निर्णय लिए गये हैं, ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की मांगों पर विचार करेगी?	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
श्री प्रमोद नैनवाल 26.08.2022	34. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत, वाया जालली- तिपोला- संगनेटी- डयोड़ाखाल-देवलीखेत-भतरौंजखान, दिल्ली तक परिवहन निगम के बस का संचालन किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	परिवहन
श्री दलीप सिंह रावत 26.08.2022	35. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कार्मिकों को दिये जा रहे यंत्र/सामान का विवरण उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास
श्री दलीप सिंह रावत 26.08.2022	36. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के समस्त भण्डार गृहों से सस्ता गल्ला विक्रेताओं को प्रति बोरी अनाज तौल कर दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

श्री प्रीतम सिंह पंवार
30.08.2022

37. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जिन राशन कार्ड धारकों के राशनकार्ड 30 जून 2022 तक जमा कराये गये हैं, क्या उन पर विभाग स्तर पर जांच करने के बाद नये राशन कार्ड पात्र लाभार्थियों को वितरित करा दिये गये हैं ? क्या सरकार बतायेंगी कि जुलाई-अगस्त 2022 का राशन किस आधार पर कार्डधारकों को वितरित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य नागरिक
आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले

श्री दलीप सिंह रावत
13.09.2022

38. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन उपलब्ध है ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री महेश जीना
28.09.2022

39. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आतिथि तक विभाग में कुल कितने कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार मानदेय के साथ अन्य अनुमन्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तत्सम्बन्धी विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला
सशक्तिकरण एवं
बाल विकास

श्री प्रदीप बत्रा
07.10.2022

40. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रुड़की में बस अड्डे के जीर्णोद्धार हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार द्वारा बस अड्डे का जीर्णोद्धार का कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन

श्री प्रदीप बत्रा
10.10.2022

41. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों के वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण

श्री प्रदीप बत्रा
10.10.2022

“द्वितीय मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-06 में स्थानांतरित।”

42. क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रुड़की में पुरानी बन्द पड़ी गंगनहर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वाटर स्पोर्ट्स हेतु विकसित करने की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त बन्द नहर को वाटर स्पोर्ट्स की दृष्टि से विकसित किये जाने से क्षेत्र के खिलाड़ियों को लाभ प्राप्त होगा तथा राजस्व में भी बढोत्तरी होगी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पुरानी बन्द पड़ी गंगनहर को वाटर स्पोर्ट्स के रूप में विकसित करने की कोई योजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?

खेल

श्री प्रदीप बत्रा
12.10.2022

43. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वृद्धा पेंशन में आ रही समस्याओं दृष्टिगत रखते हुए पुत्र के बालिग होने पर पेंशन न दिए जाने की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा कोई नियम बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो वह नियम कब तक लागू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण

श्रीमती अनुपमा रावत
07.11.2022

“उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के अध्याय 07 के नियम 30(7) के अन्तर्गत निरस्त।”

44. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में बोक्सा जनजाति के लोगों को 1991 में घर आवंटित किये हैं ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे की वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है एवं उनके जीर्णोद्धार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो तदसंबंधी ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण

श्री त्रिलोक सिंह चीमा
10.11.2022

45. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर में उत्तराखण्ड परिवहन निगम के बस अड्डे एवं वर्कशाप को स्थानान्तरित किए जाने हेतु मेरे द्वारा विधान सभा के द्वितीय सत्र 2022 में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में अवगत कराया गया कि वर्तमान में काशीपुर शहर में यातायात के कन्जेशन एवं बाईपास के निर्माण के कारण वर्तमान डिपो को बाईपास पर स्थानान्तरित करने हेतु उपयुक्त भूमि के चयन की कार्यवाही गतिमान है ? यदि हां, तो क्या बस अड्डे एवं वर्कशाप को स्थानान्तरित किए जाने हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किस स्थल पर और कितनी भूमि का चयन किया गया है तथा बस अड्डे का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन

श्रीमती अनुपमा रावत
11.11.2022

“विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।”

46. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्पेशल कंपोनेंट योजना के तहत राज्य में कितनी योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उन पर कितना धन व्यय करने का लक्ष्य है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद हरिद्वार व हरिद्वार ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में कितनी योजनाएं इन मदों में स्वीकृत की गई हैं और उन पर व्यय किये जाने वाले धनराशि का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 नवम्बर, 2022 की बैठक में दिनांक 30 नवम्बर, 2022 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

30 नवम्बर, 2022

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक अनुदानवार मांगों पर मतदान एवं पारण।

विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड विनियोग (2022-23 अनुपूरक) विधेयक, 2022 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
2. बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तराखण्ड संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 2022 के विचार एवं पारण। (05 मिनट)
3. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्ती) (संशोधन) विधेयक, 2022 के विचार एवं पारण। (05 मिनट)
4. पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 के विचार एवं पारण। (05 मिनट)
5. उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 के विचार एवं पारण। (05 मिनट)
6. भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2022 के विचार एवं पारण। (05 मिनट)
7. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 के विचार एवं पारण। (05 मिनट)
8. उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, के विचार एवं पारण। (05 मिनट)
9. उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 के विचार एवं पारण। (05 मिनट)

10. उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2022 के विचार एवं पारण। (05 मिनट)
11. हरिद्वार विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 के विचार एवं पारण। (20 मिनट)
12. उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 के विचार एवं पारण। (05 मिनट)
13. उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) (संशोधन) विधेयक, 2022 के विचार एवं पारण। (05 मिनट)
14. उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, 2022 के विचार एवं पारण। (20 मिनट)